सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1711/MP/390/2024-RO-BH **दिनांक: 20.07.2026**

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-नर्मदापुरम,
कलेक्टर कार्यालय, कोठी बाज़ार,
नर्मदापुरम-461001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmhoshangabad@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-नर्मदापुरम,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, मुख्य मार्ग,
नर्मदापुरम-461001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: sphoshangabad@gmail.com

विषय: दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक "नर्मदा पुरम में आदिवासी युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, लोन दिलाने के नाम पर 3 युवकों ने किया फ्रॉड" के संदर्भ में आयोग द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/ATY-1711/MP/390/2024-RO-BH

दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के आधार पर नर्मदापुरम जिले के पिपरिया निवासी अनुसूचित जनजाति युवक दीपक ठाकुर के साथ कथित धोखाधड़ी, उत्पीड़न एवं जातिगत प्रताड़ना के संबंध में दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के आधार पर आयोग द्वारा प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया गया। प्रकाशित समाचार के अनुसार नर्मदापुरम जिले के पिपरिया निवासी 22 वर्षीय अनुसूचित जनजाति युवक दीपक ठाकुर ने लोन दिलवाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी एवं प्रताड़ना से परेशान होकर जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। गंभीर अवस्था में उसे जिला चिकित्सालय, नर्मदापुरम में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस की उपस्थिति में उसके मजिस्ट्रियल बयान दर्ज किए गए।

3. समाचार में उल्लेख किया गया कि दीपक ठाकुर ने पिपरिया निवासी शुभम गुप्ता, विनोद सोनी एवं मुरारी पर धोखाधड़ी एवं प्रताड़ना के आरोप लगाए। साथ ही स्थानीय पुलिस पर भी शिकायत के बावजूद कार्यवाही न करने का आरोप लगाया गया। समाचार के अनुसार उक्त व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय हेतु बैंक ऋण दिलाने के नाम पर दीपक ठाकुर के नाम से ₹7,30,000/- का ऋण स्वीकृत कराया गया तथा उसमें से ₹3,90,000/- की राशि का दुरुपयोग किया गया।

4. प्रकाशित समाचार के अनुसार बाद में बैंक द्वारा ऋण की किश्त जमा करने के लिए संपर्क किए जाने पर पीड़ित को ऋण की वास्तविक स्थिति का पता चला। जब उसने संबंधित व्यक्तियों से धनराशि के संबंध में पूछताछ की तो उसके साथ मारपीट एवं प्रताड़ना की गई। शिकायत के बावजूद स्थानीय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही न होने के कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया। समाचार में यह भी उल्लेख किया गया कि पीड़ित की बहन कविता ठाकुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम को आवेदन प्रस्तुत कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने की शिकायत की गई थी।

5. प्रकरण पर आयोग द्वारा दिनांक 22.05.2024 को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम को नोटिस जारी किया गया। इसके प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि भारत सरकार की मुद्रा योजना के अंतर्गत दीपक ठाकुर द्वारा दिनांक 15.12.2023 को यूनियन बैंक में सीमेंट दुकान संचालन हेतु ऋण आवेदन प्रस्तुत किया गया था। बैंक द्वारा नियमानुसार निरीक्षण एवं परीक्षण उपरांत दिनांक 18.12.2023 को ₹7,30,000/- का ऋण स्वीकृत किया गया।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6. प्रतिवेदन में यह भी बताया गया कि दीपक ठाकुर द्वारा स्वयं ₹1,40,000/- की मार्जिन मनी अपने खाते में जमा की गई थी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत कोटेशन के आधार पर प्रथम किश्त के रूप में ₹2,50,000/- एवं मार्जिन मनी सहित कुल ₹3,90,000/- की राशि संबंधित फर्म यश इंटरप्राइजेस, जिला रायसेन के खाते में अंतरित की गई। बैंक द्वारा द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व निरीक्षण किए जाने पर दुकान के संचालन संबंधी तथ्यों में विसंगति पाई गई, जिसके कारण द्वितीय किश्त रोक दी गई।

7. प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि दीपक ठाकुर को यह धारणा थी कि ऋण राशि सीधे उनके खाते में प्राप्त होगी, जबकि बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार राशि कोटेशन प्रस्तुत करने वाली फर्म के खाते में भेजी गई थी। इसी कारण वे मानसिक रूप से परेशान हुए और उन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। वर्तमान में उनकी स्थिति सामान्य एवं स्वस्थ बताई गई है।

8. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि दिनांक 13.05.2024 को शुभम गुप्ता एवं शुभम भार्गव द्वारा दीपक ठाकुर को डराने-धमकाने, जातिसूचक गालियां देने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 169/24, धारा 294, 506, 34 भादवि तथा धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(व्हीए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

9. सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों (उपस्थिति पंजिकानुशार) द्वारा आयोग को प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि दर्ज अपराध की विवेचना प्रचलित है तथा विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकारी ने बताया कि 75 प्रतिशत राहत राशि दिया जा चुका है तथा इस प्रकरण में पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान दिसंबर 2024 में ही लगा दिया गया है। वर्तमान समय में आरोपी जमानत पर है।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत आयोग ने निम्न अनुशंसा की –

i. प्रकरण में पुलिस तथा जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई संतोषजनक होने से प्रकरण को आयोग में बंद किया जाता है।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/ATY-1711/MP/390/2024-RO-BH

दिनांक: 16.06.2026

विषय: दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक "नर्मदा पुरम में आदिवासी युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, लोन दिलाने के नाम पर 3 युवकों ने किया फ्रॉड" के संदर्भ में आयोग द्वारा लिए गए स्वत संज्ञान के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनाक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, जिला-नर्मदापुरम,

कलेक्टर कार्यालय, कोठी बाज़ार, नर्मदापुरम-461001, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	AAKIP KHAN	S.D.M. PIPARIYA	8058736812	[signature]
2				
3				
4				

पुलिस अधीक्षक, जिला-नर्मदापुरम,

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, मुख्य मार्ग, नर्मदापुरम-461001, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Mohit yadav	SDOP piPariya	7987719186	[signature] Mohit
2				
3				
4				